



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त शिबू उर्फ शीबू पुत्र मोतीलाल नि० खेडा कनार थाना कुठौन्द जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना कुठौन्द में मु०अ०सं० 568/15 (वाद संख्या – 39/17) धारा 354/323/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 30.01.2024 को मा० न्यायालय एडीजे/स्पे० जज पॉस्को एक्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त शिबू उपरोक्त को धारा 354 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 05 वर्ष कारावास एवं 9,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2017 को आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (करीब 06 वर्ष 03 माह) में दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल विश्वजीत सिंह गुर्जर



कोर्ट पैरोकार सुरेश पटेल

@jalaunpolice

jalaunpolice

JalaunPolice